



## **The Delhi Finance Commission Act, 1994**

Act No. 10 of 1994

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण  
EXTRAORDINARY

सं. 148]  
NO. 148]

दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1994/अश्विन 11, 1916  
DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1994/ASVINA 11, 1916

[पी. आर. डी. सं. 224  
[P. R. D. No. 224

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिकारिता

दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1994

म. एफ. 1/1/94-व्याप 11/26:--राष्ट्रपति का दिनांक 3 अक्टूबर, 1994 को मिला अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनाय प्रकाशित किया जा रहा है :-

दिल्ली, वित्त आयोग अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम संख्या 10, 1994)

3 अक्टूबर 1994

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधान सभा द्वारा दया पारित)

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधान सभा द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वित्त आयोग के गठन, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति के लिए अध्याप, चयन का पद्धति, कार्य तथा इतसे अन्य सम्बन्धित मसलों के लिए अधिनियम :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:--(क) इस अधिनियम का नाम "दिल्ली, वित्त आयोग अधिनियम, 1994" है।

(ख) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित है।

(ग) यह 23 अप्रैल 1994, से जारी माना जाएगा।

2. परिभाषाएं:--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 240-आई खण्ड-1 एवं अनुच्छेद 240-आई के अर्थात पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली; वित्त आयोग से अभिप्रेत है।

(ख) "मंत्र परिषद्" दिल्ली राजधानी क्षेत्र सरकार के मंत्र परिषद् से अभिप्रेत है।

(ग) "सरकार" से दिल्ली राजधानी क्षेत्र सरकार अभिप्रेत है।

(घ) "विधान सभा" से दिल्ली राजधानी क्षेत्र विधान सभा अभिप्रेत है।

(ङ) "उपराज्यपाल" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल अभिप्रेत है।

(च) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क के अर्थात संव्यवित्त नगरपालिका अभिप्रेत है।

(छ) "निर्धारित" से इस अधिनियम के तहत जने विधियों द्वारा निर्धारित अभिप्रेत है।

3. वित्त आयोग का गठन:--(1) वित्त आयोग एक अध्यक्ष और सरकार जका निर्धारित करे, कम से कम दो तथा अधिक से अधिक चार सदस्यों से मिल कर बनेगा।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति, मंत्रों परियट्ट, को निकारिश पर उपराज्यपाल के लिखित आदेशों द्वारा होगा :

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार में संबन्धी होगा किसी नगरपालिका अध्यक्ष/प्रधान (चाहे वह किसी नाम से जाना जाता हो) या नगरपालिका का कर्मचारी हो, को नियुक्ति इस विस्तृत आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नहीं की जायेगी।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति की अर्हताएँ व शर्तों को निर्धारित—

(1) अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चुना जायेगा जिन्हें वित्तीय, आर्थिक एवं लोक विषयों का अनुभव हो।

(2) सदस्य का चयन उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो कि

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या रह चुके हैं या नियुक्ति की अर्हताएँ रखते हैं।

(ख) अध्यक्षत्व, वित्त और सरकार के लेखा का विशेष ज्ञान रखते हैं।

(ग) नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंध एवं उनके प्रशासन का विस्तृत अनुभव रखते हैं।

5. नियुक्ति की अवधि—वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल समय-समय पर त्रिनिदिष्ट अवधि के लिए होगा।

6. अध्यक्ष एवं आयोग के सदस्यों को निर्हृताएँ—कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होने के लिए निर्हृत होगा यदि वह—

(क) विक्रमचिन्म है या

(ख) विवाहव्यवस्था संबंधित किया गया है, या

(ग) नैतिक दृष्टि के आधार पर दूसरी राय नहीं है या

(घ) यदि उसका कोई भी वित्तीय या अन्य हित हो जो उसके अध्यक्ष व सदस्य के रूप में कार्य करने में बाधक है।

7. अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवा शर्तों—(1) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य उपराज्यपाल द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार पूर्णकाल अथवा अर्धकाल के आधार पर सेवाएँ देने।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों को अन्य सेवा शर्तें जिनमें वेतन तथा या शुल्क सम्मिलित है ऐसा होगा जैसा कि निर्धारित की जाए।

8. पदस्थापन—वित्त आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद में पदस्थापन उपराज्यपाल को लिखित रूप में कर सकते हैं।

9. अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाना—उपराज्यपाल, मंत्रों परियट्ट, को निकारिश पर आदेश द्वारा अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटा सकते हैं—

(क) यदि वह नियुक्ति के पत्रान खण्ड-6 में नवविध निर्हृताओं के अन्तर्गत आता है।

(ख) यदि उसने सरकार की राय में अपने पद को ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहना अवाञ्छनीय है।

परन्तु ऐसा आदेश इस खण्ड के अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्य को गुनवाई का अधिकार अथवा चयन करने के अधिकार हो किया जायेगा, अन्वय नहीं।

10. अध्यक्ष के पद पर रिक्तता—यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, या अध्यक्ष अनुपस्थित होकर या अन्य कारण से अपने कार्यों को निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराज्यपाल नगरपालिका को निकारिश पर आदेश

द्वारा त्रिनिदिष्ट आयोग का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का खर्च निर्वहन करेगा, जब तक कि नये अध्यक्ष को नियुक्ति न हो और नया अध्यक्ष कार्य करना शुरू कर दे अथवा परिस्थितियों के अनुसार पहला अध्यक्ष अपने कार्यों का पुनर्वहन करे।

11. आयोग के अधीनस्थ कर्मचारियों—(1) आयोग सरकार को पूर्ववर्तमान से त्रिनिदिष्टित पदों पर नियुक्ति कर सकता है—

(क) सचिव

(ख) ऐसे कर्मचारी जिनको आयोग के कार्यों के पुनर्गठन से निर्वहन के लिए आवश्यकता हो।

(2) सचिव को अर्हताएँ एवं सचिव तथा अन्य कर्मचारियों को सेवा शर्तें जिनमें कि वेतन एवं भत्ते सम्मिलित हों, ऐसी होगी जैसा कि निर्धारित की जाए।

12. प्रक्रिया—आयोग अपने कार्य के निर्वहन को प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

13. आयोग के कार्य—आयोग नगरपालिकाओं को वित्तीय स्थिति का अधिकतम करेगा और उपराज्यपाल को इस संबंध में ऐसी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगा—

(क) जिनमें त्रिनिदिष्टित सिद्धांतों के अन्तर्गत—

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं नगरपालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, टोल, शुल्क जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विलय द्वारा लगाए गए हों तथा तत्संबन्धित करों, शुल्कों, टोल, शुल्क के शुद्ध आगमनों का उनके बीच में विवरण व आवंटन के बारे में,

(2) करों, शुल्कों, टोल, शुल्क को ऐसी राशियों का निर्धारण जोकि नगरपालिकाओं को किराए की जाये अथवा उन द्वारा त्रिनिदिष्टित की जाये।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सचिव त्रिदिष्टित से नगरपालिकाओं के लिए अनुदान।

(ख) नगरपालिकाओं को वित्तीय स्थिति के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम।

(ग) अन्य कोई मसला जो उपराज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं को वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आयोग को संदर्भित हो।

14. आयोग की शक्तियाँ—(1) आयोग को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (1908 के अधिनियम, 5) के अधीन बनाए गए सिविल कोर्ट को किसी मामले के संबंध में प्राप्त शक्तियाँ, निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होंगी—

(क) किसी भी साक्षी को बुलाने एवं उपस्थित करने की शक्तियाँ।

(ख) किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करवाने का अधिकार।

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से मार्बजनिक्त दस्तावेज मंगवाने की शक्ति।

(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 (1860 का अधिनियम 45) के अधीन आयोग को किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना किसी भी विद् में या मसलों, जोकि आयोग की राय में उपयुक्त हो या संबंधित हो या ऐसे मामले जो आयोग के विचारधोन हों, ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति से उपरोक्त सूचना मांगने का अधिकार होगा चाहे वह किसी नियम के अन्तर्गत में हों।

अध्याय : मामलों की उपस्थिति के संदर्भ में आयोग के प्रभाव क्षेत्र दिवसों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा :

15. इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण—इस अधिनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष या किसी सदस्य या सचिव या किसी कर्मचारी द्वारा की गई कार्यवाही जो राष्ट्रभाषापूर्वक की गई हो या अनुसरण में किए गए कार्यात्मक किलो कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का मुकदमा, अनियोजित तथा अन्य कानूनी कार्यवाही दायी नहीं होगी।

16. नियम बनाने की शक्तियाँ—(1) इस अधिनियम को लागू करने हेतु सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा।

(2) ब्रह्मचरित्त कर्मियों को विशेषज्ञताओं में बिना किसी पूर्वाग्रह नियम सक्षम अथवा किसी भी निम्नलिखित विषय में लागू होंगे :—

(क) आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा शर्त तथा उनको दिए जाने वाला वेतन, भत्ता तथा शुल्क।

(ख) आयोग के सचिव तथा कर्मचारियों की अर्हताएँ। उनकी सेवा शर्त तथा उनको दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता।

(ग) अन्य कोई विषय जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित हों।

(3) इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम श्रीद्रा.तशीद्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

17. समस्याओं के निवारण के लिए शक्तियाँ—(1) इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार ऐसा आदेश दे सकती है जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो पर असंगत नहीं। बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत जारी किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

18. 1994 के अध्यादेश 1 को निरस्त करना—(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिवसों दिवसों आयोग अध्यादेश, 1994 (1994 का 1) को पतुद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरस्त के बावजूद इन अध्यादेश के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यान्वित मानी जाए।

यार.टी.एच. डामुजा, अवर सचिव (विधायी कार्य)

DEPTT. OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd October, 1994

No. F. 13|194-Jud|11|26.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the President, on the 3rd October, 1994 and is hereby published for general information :

THE DELHI FINANCE COMMISSION ACT, 1994

(Delhi Act No. 10 of 1994)

(3-10-1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to provide for the composition of a Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi, the qualifications requisite for appointments, and the manner of selection of, the Chairman and members thereof, the functions of the Finance Commission and for matters incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Finance Commission Act, 1994

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 23rd day of April, 1994.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi constituted under clause (1) of Article 243-J read with Article 243-Y of the Constitution of India;

(b) "Council of Ministers" means the Council of Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi;

(c) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(e) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi;

(f) "Municipality" means a Municipality constituted under Article 243-Q of the Constitution of India;

(g) "Prescribed" means prescribed by rules made under the Act.

3. Composition of the Finance Commission.—(1) The Finance Commission shall consist of a Chairman and such number of members not being less than two and more than four, as the Government may determine.

(2) The Chairman and the members shall be appointed by the Lieutenant Governor on the recommendation of the Council of Ministers, by order in writing :

Provided that no person who is a Minister of the Government or a Chairman/President (by whatever name called) or an employee of a Municipality shall be appointed as a Chairman or a Member of the Commission.

4. Qualifications for appointment and manner of selection of Chairman and members.—(1) The Chairman shall be selected from among persons who have experience in financial and economic matters and in public affairs.

(2) The members shall be selected from among persons who—

- (a) are, or have been, or are qualified to be appointed as Judges of a High Court; or
- (b) have special knowledge in economics, and of the finances and accounts of the Government; or
- (c) have wide experience in financial management of the Municipalities and in the administration thereof.

5. Term of appointment.—The Chairman and the members of the Commission shall hold office for such period as may be specified from time to time.

6. Disqualification for being a Chairman or a member of the Commission.—A person shall be disqualified from being a Chairman or a member of the Commission :—

- (a) if he is of unsound mind; or
- (b) if he is adjudged an insolvent; or
- (c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (d) if he has such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functioning as a Chairman or a member of the Commission.

7. Conditions of service of Chairman and members.—(1) The Chairman and the members of the Commission shall render whole-time or part-time service to the Commission as may be specified.

(2) The other terms and conditions of service of the Chairman and the members of the Commission including the salaries and allowances of fee shall be such as may be prescribed.

8. Resignation.—The Chairman or any member of the Commission may by writing under his hand addressed to the Lieutenant Governor resign his office.

9. Removal.—The Lieutenant Governor may, on the recommendation of the Council of Ministers, by order, remove from office the Chairman or any member:—

- (a) if after his appointment, he becomes subject to any of the disqualifications referred to in section 6; or
- (b) if he has, in the opinion of the Government, so abused his position as to render his continuance in office as Chairman or member undesirable :

Provided that no such order shall be passed under this section without giving the Chairman or such member a reasonable opportunity of being heard.

10. Vacancy in the office of Chairman.—If the Office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, such member of the Commission as the Lieutenant Governor may, on the recommendation of Council of Ministers, by order, specify shall discharge the functions of the Chairman until new Chairman is appointed and assumes office or, as the case may be, the Chairman resumes his duties.

11. Staff of the Commission.—(1) The Commission may, with the previous sanction of the Government, appoint:—

- (a) a Secretary, and
- (b) such employees as it may think necessary, for the efficient discharge of its functions.

(2) The qualifications of the Secretary and the terms and conditions of service of the Secretary and other employees of the Commission, including the salaries and allowances, shall be such as may be prescribed.

12. Procedure.—The Commission shall determine the procedure for the discharge of its duties.

13. Functions of the Commission.—The Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations to the Lieutenant Governor as to,—

- (a) the principles which should govern.—
  - (i) the distribution between the Government and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the Government which may be divided between them;
  - (ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the Municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities,

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Lieutenant Governor in the interest of sound finance of the Municipalities.

14. Powers of the Commission.—The Commission shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely :

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the production of any document;

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have power to require any person to furnish information on such points or matters as in its opinion may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission and any person so required shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be deemed to be legally bound to furnish such information within the meaning of section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Explanation.—For the purposes of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the National Capital Territory of Delhi.

15. Protection of action taken under this Act.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairman, or a member or the Secretary or any employee for anything which is in good faith done or purported to be done under this Act.

16. Power to make rules.—(1) The Government may, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules, may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the terms and conditions of service of the Chairman and the members of the Commission including the salaries and allowances or fees payable to them;

(b) qualification of the Secretary and the terms and conditions of service of the Secretary and other employees of the Commission, including the salaries and allowances payable to them.

(c) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.

(3) Every rule made by the Government under this Act shall be laid, as soon as may be, before the Legislative Assembly.

17. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government, may, by order, do anything not inconsistent with the provisions thereof which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be, on the table of the Legislative Assembly.

18. Repeal Ordinance 1 of 1994.—(1) The National Capital Territory of Delhi Finance Commission Ordinance, 1994 (Ordinance 1 of 1994) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

R. T. L. D'SOUZA, Under Secy.  
(Legislative Affairs)